न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा
अपील-अख्तर बनाम सरकार अर्थे SDO थानागाजी
मुकदमा संख्या — 15/48/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
12/3/2025	आज यह पत्रावली पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित है। उक्त पत्रावली पर रोयोरोधन प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने के कारण पेश हुआ। वकील प्रार्थी द्वारा गत आदेश दिनांक 20/11/2024 की पालना सुपुर्दनामा व हकीकत का प्रमाणपत्र नामा पेश किया गया है। जो शामिल किया किया जावे। प्रार्थी भी अपने प्रमाणपत्रनामा ~~[illegible]~~ गफ्फार पुत्र बगदू जाति मेव निवासी सियावपुर तह. तहसील मूंडका जिला खैरथल-तिजारा द्वारा तहसीलदार मूंडका द्वारा जारी हकीयत प्रमाण-पत्र नम्बर 4 दिनांक 17/1/2025 की नकल पेश की गयी है जिसमें प्रमाणकर्ता की हकीयत 40,59,600/- बाबदीन की गयी है। उक्त कार्ड व सुपुर्दनामा सुपुर्दगी द्वारा पेश किया है। प्रमाणकर्ता द्वारा पेश प्रमाणनामा तहरीर किया पाता है तथा शामिल किया किया जावे। प्रकरण में पंजीकृत वाहन मोटर साईकिल रजि० नं० RJ 40 SE 7485 किसी अन्य प्रकरण में संबंधित न होने की नियमानुसार सुपुर्दगी की सुपुर्दगी की सर्तों पर छोड़ने के आदेश दिये जाने की तहरीर प्रार्थी है। उक्त प्रकरण में वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अनावश्यक चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र की कार्यवाही डिस्पोजड की जाकर निर्णय मुताबिक की नकल तस्दीक शामिल पत्रावली की जाकर रिकार्ड हो।

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा